न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2019RAAJu225RTA132 Nimbaram n ors Vs Premaram etc

1. निम्बाराम पुत्र पुरखाराम कुम्हार
2. कालूराम पुत्र पुरखाराम कुम्हार
3. नोजाराम पुत्र पुरखाराम कुम्हार
4. चूनाराम पुत्र पुरखाराम कुम्हार
5. श्रवणराम पुत्र पुरखाराम कुम्हार

निवासीगण कडवासरा नगर, पल्ली प्रथम
तहसील लोहावट, जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. प्रेमाराम पुत्र करनाराम कुम्हार
   निवासी कडवासरा नगर, पल्ली प्रथम
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
2. तहसीलदार लोहावट
   जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर फलोदी दिनांक 11 सितम्बर 2019 प्रकरण संख्या 42/2019 प्रेमाराम बनाम निम्बाराम इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता अपीलाण्ट्स
श्री किशनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 03 दिसम्बर 2019

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 42/2019 प्रेमाराम बनाम निम्बाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 11 सितम्बर 2019 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 24 सितम्बर 2019 को प्रस्तुत की है।

इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के तहत एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर स्वयं की खातेदारी के खसरा संख्या 935 रकबा 570 बीघा वाके मौजा कडवासरा नगर तहसील लोहावट के पश्चिम दिशा में स्थित अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की खातेदारी के खसरा संख्या 940 रकबा 42 बीघा 08 बिस्वा के पश्चिम दिशा में स्थित सडक तक आवागमन हेतु अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की खातेदारी के उक्त खसरा संख्या 940 में से प्रार्थनापत्र के संलग्न नजरी नक्शा में बिन्दु में लाल रंग से दर्शाये अनुसार 20 फीट चौडा रास्ता नियमानुसार उपलब्ध कराये जाने की मांग की। अपने उक्त प्रार्थनापत्र में प्रार्थी-रेस्पो. ने उक्त रास्ता पहले से ही चले उपयोग में लेते चले आना और अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं होना भी जाहिर किया। अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रार्थनापत्र का जबाब पेश कर विरोध किया गया और बताया गया कि खसरा संख्या 940 में से कोई रास्ता नहीं चलता है, जिस सडक तक आवागमन हेतु प्रार्थी-रेस्पो. द्वारा सडक की मांग की जा रही है, वह सडक खसरा संख्या 935 के आगे होते हुए आगे स्टेट हाइवे से मिलता है और स्टेट हाइवे का उपयोग प्रार्थी-रेस्पो. द्वारा अपने खातेदारी की भूमि में आवागमन हेतु किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गयी और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 11

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सितम्बर 2019 को उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया गया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के मामलों में नियमानुसार मौका रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार अथवा भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार की जानी होती है, मगर आलौच्य प्रकरण में मौका रिपोर्ट पटवारी हळका द्वारा पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार की गयी है। मौके पर उपस्थित रहने बाबत किसी भी पक्षकार को कोई नोटिस नहीं दिया गया है। स्वयं पटवारी भी मौका रिपोर्ट तैयार करने में मौके पर नहीं गया। मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं किया गया है। मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त होने के बाद उसके संबंध में उज्र-एतराज और सुनवाई का भी अवसर नहीं दिया गया। अप्रार्थी-रेस्पो. की ओर से मौका रिपोर्ट के संबंध में आपत्ति प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसका निस्तारण किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि रेस्पो. संख्या एक एवं अन्य सहखातेदारान की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 935 वाके मौजा कडवासरानगर तहसील लोहावट में स्थित है, जिसमें स्थित ढाणी से कटाणी मार्ग तक आवागमन के लिए अपीलाण्ट की खातेदारी के खसरा संख्या 940 में से एक कदीमी रास्ता है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

होने से उसका उपयोग अप्रार्थी-अपीलाण्ट की इच्छा पर निर्भर रहता था, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जिसे नियमानुसार स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

प्रकरण में एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी राजूराम पुत्र मानाराम जाट ने प्रस्तुत कर पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया। उसका कथन है कि प्रार्थी का खसरा संख्या 939 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा वाके कडवासरानगर खसरा संख्या 935 से चिपता हुआ है जिसके एक तरफ सडक है। वह रेस्पो. द्वारा चाहा गया रास्ता अपनी भूमि से देने हेतु सहमत है। उसका पक्ष सुना गया। रेस्पो. का कथन है कि उसने खसरा संख्या 939 में से रास्ता नहीं चाहा है। उसने पूर्व में चल रहे रास्ते को धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए चाहा है, जो अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार लघुतम होने पर प्रदत्त किया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी दिनांक 02 दिसम्बर 2019 को खारिज किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं के अवलोकन से पाया जाता है कि अप्रार्थी-अपीलाण्ट द्वारा मौका-रिपोर्ट बाबत जो आपत्ति-प्रार्थनापत्र पेश किया गया, उसके संबंध में पक्षकारान की सुनवाई कर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा दिनांक 10 सितम्बर 2019 को मौका देखा जाना आदेशिका दिनांक 22 अगस्त 2019 के अनुसार निश्चित किया गया। दिनांक 11 सितम्बर 2019 की आदेशिका में दिनांक 10 सितम्बर 2019 को मौका देखा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाने का विवरण अंकित करते हुए अप्रार्थी का उक्त आपत्ति प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया। अतः अपील स्तर पर अप्रार्थी-अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वारा यह लिया गया आक्षेप कतई सही नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्ति प्रार्थनापत्र का निस्तारण किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। चूंकि आपत्ति प्रार्थनापत्र पेश होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी स्वंय द्वारा मौका मुआयना कर लिया गया, ऐसी स्थिति में प्रथम मौका रिपोर्ट में रही तकनीकी खामियों एवं उनके संबंध में उठायी गयी आपत्तियों का निराकरण स्वतः ही हो जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं मौका मुआयना करने के बाद यह सुनिश्चित करते हुए कि मौके पर अन्य प्रार्थीगण-रेस्पो. की ढाणी तक आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, अतः उभयपक्षकारान की सुनवाई के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश 11 सितम्बर 2019 पारित किया गया है, उससे अदालत हाजा पूर्णतः सहमत है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 11 सितम्बर 2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 31/12/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर